<u>न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर</u>

मुन्त. प्रा0/21/2019

प्रसादी पुत्र बुद्धासिंह जाति जाट निवसी बोलोठ तहसील नदबई जिला भरतपुर

.......प्रार्थी

बनाम

1– सोनदेई बेबा घूरे
2– दीपचन्द
3–जीतेन्द्र } पिसरान घूरे
4–प्रवीण
5– सपना पुत्री घूर
6–समय सिंह पुत्र जवाली
7–बनयसिह पुत्र जवाली
8–अमरादेवी पत्नी अमरसिंह
} जातियान कोली निवासी ग्रांम पहरसर तहसील नदबई
9–ललित । पुत्रगण अमरसिंह जाति कोली निवासी पहरसर तहसील नदबई
10–पंकज । नाबालिगान बलीसरपरस्त माता खुद अमरादेवी पत्नी स्व0 अमरसिंह कोली निवासी पहरसर तहसील नदबई जिला भरतपुर

........अप्रार्थीगण

मुन्तकिली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरुद्ध दावा संख्या 52/2011 उनवानी घूरे बनाम बाबूलाल धारा 88–89,188 आर.टी.एक्ट

<u>निर्णय</u> **<u>दिनांक 27.11.2019</u>**

प्रार्थी ने यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र विरुद्व अप्रार्थी0 इस आश्य का पेश किया कि जो संक्षेप में इस प्रकार है कि एक दावा 52/2011 उनवानी घूरे बनाम बाबूलाल न्यायालय सहायक कलेक्टर नदबई के यहॉ विचाराधीन है। इन्ही पक्षकारान के मध्य एक अन्य दावा संख्या 167/2015 उनवानी घूरे बनाम वासुदेव न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भरतपुर के यहॉ विचाराधीन है। उक्त दोनों वाद पूर्व में सहायक कलेक्टर नदबई के यहॉ विचाराधीन थे। जिनमें से अप्रार्थी. ने दावा संख्या 167/2015 उनवानी घूरे बनाम वासुदेव को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भरतपुर के यहॉ मुन्तकिल करा लिया है। जब कि दोनों दावों मे समान पक्षकारान हैं तथा वाद पत्र की विषय वस्तु भी एक ही है। अप्रार्थीगण सहायक कलेक्टर नदबई के यहॉ विचाराधीन दावा संख्या 52/2011 को जल्दी ही अपने हक में निर्णय कराना चाहते हैं। जल्दी निर्णय कराये जाने के फिराक में हैं। जब इसी विषय वस्तु को

...........2

लेकर दावा संख्या 167/2015 उनवानी घूरे बनाम वासुदेव न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भरतपुर के यहॉ विचाराधीन है तो दोनों ही प्रकरणों का फैसला समेकित होकर एक ही न्यायालय से होना न्यायिक दृष्टि से भी आवश्यक है। सहायक कलेक्टर नदबई के यहॉ विचाराधीन दावा संख्या 52/2011 उनवानी घूरे बनाम बाबूलाल को भी उपखण्ड अधिकारी भरतपुर के न्यायालय में स्थानान्तरण किया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। सहायक कलक्टर नदबई से टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी0 की ओर से प्रस्तुत जबाब शामिल मिसिल किया गया। सहायक कलक्टर नदबई से प्राप्त टिप्पणी भी शामिल मिसिल की गई। अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक ने अपने कथनों में प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दौहराते हुये जाहिर किया कि इन्ही पक्षकारान के मध्य दावा संख्या 52/2011 उनवानी घूरे बनाम बाबूलाल एवं दावा संख्या 167/2015 उनवानी घूरे बनाम वासुदेव न्यायालय सहायक कलेक्टर नदबई के यहॉ विचाराधीन थे। अप्रार्थीगण ने दावा संख्या 167/2015 उनवानी घूरे बनाम वासुदेव को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भरतपुर के यहॉ मुन्तकिली करा लिया है। योग्य अभिभाषक का कहना है कि दोनों दावों में पक्षकार एवं निर्णायक बिन्दू समान हैं। अप्रार्थीगण ए0सी0एम0 नदबई के यहॉ विचाराधीन दावा दावा संख्या 52/2011 उनवानी घूरे बनाम बाबूलाल को साज करके अपने पक्ष में शीघ्र निर्णय कराने पर आमदा हैं। जब कि न्यायहित में दोनों दावों पक्षकार एवं निर्णायक बिन्दू समान होने से दोनों दावों का निर्णय/सुनवाई एक ही न्यायालय से होनी चाहिये। उन्होने प्रार्थना की न्यायहित प्रार्थना पत्र मुन्तकिल स्वीकार किया जाकर सहायक कलेक्टर नदबई के यहॉ विचाराधीन दावा संख्या 52/2011 उनवानी घूरे बनाम बाबूलाल को उपखण्ड अधिकारी भरतपुर के यहॉ मुन्तकिल किया जावे।

योग्य अभिभाषक अप्रार्थी0 ने अपने तर्कों में जाहिर किया कि दोनों दावों निर्णायक बिन्दू पृथक पृथक हैं। दावा संख्या 167/2015 रजिस्टड बयनामा के आधार पर घोषित कराये जाने खातेदारी सहायक कलेक्टर नदबई के यहॉ पेश किया गया है, जो मुन्तकिल होकर उपखण्ड अधिकारी भरतपुर न्यायालय में विचाराधीन है। उनका कहना कि दावा संख्या 52/11 घूरे द्वारा बाबूलाल परसादी के विरुद्ध घूरे के पक्ष की आराजी के सम्बन्ध में फर्जी बयनामा कराया गया को निरस्त कराये जाने के लिये पेश किया गया है। फर्जी बैयनामा के सम्बन्ध थाना नदबई में एफ0आई0आर0

दर्ज कराई गई है। प्रार्थना पत्र में अंकित बेबुनियाद हैं। दोनों दावे भिन्न हैं, जिन्हें कानूनन मुन्तकिल किया जाना न्यायोचित नहीं है। प्रार्थना पत्र मुन्तकिली खारिज किया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष के कथनों पर गौर किया गया। सहायक कलेक्टर नदबई से प्राप्त टिप्पणी पर गौर किया गया। पक्षकारान के मध्य दावा संख्या 167/2015 एवं दावा संख्या 52/11 सहायक कलेक्टर नदबई के न्यायालय में विचाराधीन थे, जिनमें से दावा संख्या 167/2015 को उपखण्ड अधिकारी भरतपुर के न्यायालय में मुन्तकिल करालिया गया है। वर्तमान में इन्ही पक्षकारान के मध्य दावा संख्या 52/2011 सहायक कलेक्टर नदबई के न्यायालय में विचाराधीन है। जब दोनों दावों में एक ही पक्षकार हों और निर्णायक बिन्दु समान हों तो न्यायहित में दोनों दावों की सुनवाई एक जगह होना उचित होगा। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र मुन्तकिली स्वीकार किया जाना उचित पाते हैं।

अतः आदेश है कि :—

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र मुन्तकिली स्वीकार किया जाता है। सहायक कलेक्टर नदबई के न्यायालय में विचाराधीन दावा संख्या 52/2011 उनवानी घूरे बनाम बाबूलाल को उपखण्ड अधिकारी भरतपुर के न्यायालय में मुन्तकिल किया जाता है। निर्णय की प्रति उपखण्ड अधिकारी भरतपुर एवं सहायक कलेक्टर नदबई को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 27—11—2019 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ जोगाराम)
जिला कलेक्टर,
भरतपुर